न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 102/2022 दायर दिनांक: 16.09.2022

उनवान

1. भेरुसिंह पि. भूरसिंह जाति राजपूत नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. चतुर्भुज पि. रामसिंह जाति धाकड नि. पाऊखेडी तहसील सुनेल

——प्रार्थीगण

बनाम

1. कारूलाल पि. नाथू जाति मेघवाल नि. पाऊखेडी तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल
3. कलावती पुत्री भवरलाल मेघवाल नि. पाऊखेडी तहसील सुनेल
4. बगदीराम पुत्र भवरलाल मेघवाल नि. पाऊखेडी तहसील सुनेल
5. बससन्तीबाई पत्नि भवरलाल मेघवाल नि. पाऊखेडी तहसील सुनेल
6. रोडुलाल पुत्र भवरलाल मेघवाल नि. पाऊखेडी तहसील सुनेल
7. फुलबाई पत्नि सीताराम जाति मेहर बलाई नि. गुण्दी तहसील सुनेल

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाशक :—
प्रार्थीगण — श्री रमेशचन्द सोनी
अप्रार्थी सं. 1 व 3 से 7 — एकतरफा
अप्रार्थी सं. 2 — पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाक: 09.10.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम पाऊखेड़ी तहसील सुनेल जिला झालावाड राजस्थान की [illegible] सख्या नयी 134 पर की आराजी कुल किता 2 कुल रकबा 1.9476 हैक्टेयर [illegible] योग नं. 1 के तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है। नकल खाता संलग्न है। यह कि ग्राम पाऊखेडी तहसील सुनेल जिला झालावाड राजस्थान की जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

6

खसरा नंबर 296 की आराजी कुल किता 3 कुल रकबा 0.8100 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण नं. 2 के नाम खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है। नकल खाता संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 1 व 2 में वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर आने-जाने बैलगाड़ी साधन ट्रैक्टर-ट्रॉली कृषि यन्त्र इत्यादि लाने व ले जाने का सनातनी रास्ता सनातन से [illegible] से [illegible] वाले मेड से उत्तर दिशा में मुड़कर खसरा नम्बर 23 पूर्वी मेड व ख.नं. 25 की दक्षिणी मेड व ख.नं. 24 की दक्षिणी व पश्चिमी मेड पर लगभग 15 फुट रास्ता सनातन से स्थित रहा है। प्रार्थीगण सनातन से चरण में वर्णित रास्ते से होकर अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर सनातन से आज तक आते-जाते रहे हैं। यह कि प्रार्थीगण की आराजी पर आने-जाने बैलगाड़ी, साधन, ट्रैक्टर इत्यादि लाने व ले जाने के लिए वादग्रस्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। यह कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंचने वाले वादग्रस्त रास्ते खसरा नम्बर 24 के खातेदार अप्रार्थीगण नं. 1 व्यवधान पैदा करता है तथा प्रार्थीगण को पैदल आने जाने व कृषि यन्त्र लाने व ले जाने के लिए मना करता है। यह कि प्रार्थीगण की आजीविका का एक मात्र साधन कृषि है। अभी काश्तकारी का समय चल रहा है फसलें कटने वाली है एवं पुनः [illegible] जुताई कर बुवाई करनी है। प्रार्थीगण रास्ता सुचारू रूप से चालू करना आवश्यक है। वादग्रस्त रास्ते को अप्रार्थीगण नं. 1 नहीं रोके इस हेतु अप्रार्थीगण नं. 1 को पाबन्द किया जाना न्याय के लिए आवश्यक व जरूरी है। यह कि प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने के लिए तैयार है एवं माननीय न्यायालय वादग्रस्त रास्ते की भूमि का मुआवजा के सम्बन्ध में जो भी आदेश प्रदान करता प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वादग्रस्त रास्ते की भूमि का मुआवजा अदा करने को तैयार है। यह कि प्रार्थीगण की आराजी एवं वादग्रस्त रास्ता ग्राम [illegible] तहसील [illegible] में स्थित होने से [illegible] न्यायालय को प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार [illegible] है। [illegible] प्रार्थीगण नं. 2 [illegible] होने से [illegible] शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:46 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

(7)

खातेदारी की आराजी पर पहुंचने वाले वादग्रस्त रास्ता का मुआवजा जमा करवाया जाकर वादग्रस्त रास्ता की भूमि राजस्व रिकार्ड में रास्ते के नाम से दर्ज करने की कृपा करे एवं वादग्रस्त रास्ता सुचारू रूप से चालू रहे इस बाबत अप्रार्थी नं 1 को पावन्द किये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 3 से 7 के बावजूद सूचना अनुस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 30.01.2025 व दिनांक 31.07.2025 को अप्रार्थी सं. 1 व 3 से 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम पावखेडी का खाता सं. 134, 256, 35 की जमाबंदी सं. 2075–78 की नकल, पटवारी हल्का चछलाव की जां रिपोर्ट दिनांक 02.07.2022 की प्रमाणित प्रति, खसरा नक्शा दिनांक 04.08.2022 पेश किया।

4. अप्रार्थी सं. 2 पैरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/889 दिनांक 12.11.2022 एवं पत्रांक 348 दिनांक 04.04.2024 जांच रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री भैरूसिंह पि. भूरसिंह जाति राजपूत एवं चतुर्भुज पि रामसिंह जाति धाकड नि० पाउखेडी अपने खाते की आराजी ख.नं. 481/22 रकबा 0.9738 है. 689/22 रकबा 0.9738 है. एवं ख.नं. 512/22 रकबा 0.2403 है. भूमि पर आने–जाने हेतु रास्ता चाहते हैं। मुताबिक मौका ग्राम पाउखेडी में सुनेल से झालरापाटन रोड से उत्तर दिशा की तरफ ख नं. 20 खातेदारी भूमि की पूर्वी मेड से होकर रास्ता बना हुआ है। जो मौके पर चालू है व मौके पर ख.नं. 25 की दक्षिणी मेड पर बंद है व ख.नं. 25 की दक्षिणी मेड व ख.नं. 24 की दक्षिणी–पश्चिमी मेड की तरफ प्रार्थीगण के खेत पर आने–जाने का रास्ता मोके पर बंद है। मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी भैरूसिंह पि० भूरसिंह बगै. अपनी आराजी भूमि पर पहुंचने हेतु ख.नं. 25 जो कि फूलबाई पत्नि सीताराम जाति बलाई नि. पाउखेडी की खातेदारी में दर्ज है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(8)

की दक्षिणी मेड पर 15 फीट चौडा रास्ता चाहते है। ख.नं. 25 की दक्षिणी मेड की लम्बाई 214.5 फीट है यानि चाहे जा रहे रास्ते का कुल क्षेत्रफल 3217 वर्गफीट होता है। ख.नं 24 जो कि कारूलाल पि० नाथू जाति मेघवाल की खातेदारी दर्ज है की दक्षिणी मेड पर 15 फीट चौडाई का रास्ता चाहते है। ख.नं. 24 की दक्षिणी मेड की लम्बाई लगभग 346.5 फीट है यानि रास्ते का कुल क्षेत्रफल लगभग 5197 वर्गफीट होता है। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ख.न. 25 में से 0.0298 हैक्ट एवं ख.नं. 24 में से 0.0482 हैक्ट भूमि रास्ते के उपयोग में आती है। अतः उपरोक्त प्रकरण के संबंध में चाही गई रिपोर्ट, नजरी नक्शा. प्रमाणित डी.एल.सी. दर की प्रति मय श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

5. अभिभाषक प्रार्थीगण व पेराकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम पाउखेडी तहसील सुनेल में स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.न. 481/22 रकबा 0.9738 है. एवं ख.नं. 659/22 रकबा 0.9738 है., ख.नं. 512/22 रकबा 0.2403 है. व ख.नं. 684/97 रकबा 0.2782 है. किता 4 भूमि तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी भूमि तक पहूँचने के लिए मुख्य डामर सडक ख.नं. 18 से होकर अप्रार्थीगण की सहमति से उनकी भूमि ख.न. 20 की पूर्वी मेड से होकर ख.नं. 25 की दक्षिण मेड के सहारे चलकर ख.नं. 24 की दक्षिणी मेड से होते हुए अपनी आराजी ख.नं. 481/22 पर कृषि कार्य हेतु पहूँचते आ रहे है। मौके पर आज भी अस्थायी रास्ते बना हुआ है लेकिन कुछ वर्षो से ख.नं. 24 के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थीगण के उक्त अस्थायी रास्ते को बंद कर दिया गया है जिससे प्रार्थीगण का खेत पडत पडा हुआ है। प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक सडक भी उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में फसल नहीं बो पा रही है और अपनी भूमि पडौसी काश्तकारो को पांति/बंटाई पर देनी पड रही है जिससे प्रार्थीगण के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। अतः रास्ता प्रार्थीगण की नितान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यकता है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि का भी नियम अनुसार भुगतान करने के लिए तत्तपर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपनी आराजी तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.न. 20 की पूर्वी मेड के सहारे, ख.नं. 25 व ख.नं. 24 की दक्षिणी मेड के सहारे कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

6. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल की बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थिगण के आराजी ख. न 481/22 व अन्य खेतो पर आने–जाने का रास्ता मुख्य सडक से होते हुए ख.न. 20 की मध्य मेड, ख.नं. 25 व ख.नं. 24 की दक्षिण मेड से होते हुए प्रार्थिगण पूर्व से ही आते–जाते रहे थे परन्तु वर्तमान में यह रास्ता अप्रार्थीगण ने अवरूद्ध कर दिया। प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँचने के लिए उक्त अस्थाई रास्ते की तुलना में ख.नं. 11 व 10 की पूर्वी मेड से होकर लघुत्तम रास्ता दिया जा सकता है।

7. अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः–

(i) रिकार्डेड पहूँच मार्ग – प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार दोनो इस कथन पर सहमत है कि ग्राम पाउखेडी तहसील सुनेल में स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.न. 481/22 रकबा 0.9738 है. एवं ख.नं. 659/22 रकबा 0.9738 है., ख.नं. 512/22 रकबा 0.2403 है. व ख.नं. 684/97 रकबा 0.2782 है. किता 4 भूमि तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। ग्राम ग्राम पाउखेडी के लटठा नक्शा व आन लाईन नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:46 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(ii) <u>वैकल्पिक रास्ता नहीं होना</u> – अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार सुनेल द्वारा भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में पहूँच हेतु ख.नं. 20 की मध्य मेड से होकर ख.नं. 25 की दक्षिणी मेड से होकर ख.नं. 24 की दक्षिणी मेड से होते हुए ख.नं. 481/22 तक बने एक अस्थाई कच्चा वैकल्पिक रास्ता को अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया जाना बताया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई स्थाई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना साबित होता है।

(iii) <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु ना तो कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता है और ना ही कोई स्थाई व चालू वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है। यह भी सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। अतः साबित होता है कि प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।

(iv) लघुतम रास्ता होनाः– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, लटठा नक्शा व खसरा नक्शा के अवलोकन एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा पेश मौका रिपोर्ट पत्र कमांक/राजस्व/2024/889 दिनांक 12.11.2022 एवं कमांक/राजस्व/2024/348 दिनांक 04.04.2024 से जाहिर है कि लघुत्तम रास्ता सुनेल–झालावाड सडक ख.न. 12 से उत्तर की ओर ख.नं. 11 व 10 की पूर्वी मेड से होकर ख.नं. 481/22 पर हो[illegible] प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में ख.नं. 11 व 10 के खातेदारान को [illegible]र नहीं बनाया गया है। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के अधीन सुविधाजनक रास्ते का प्रावधान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(11)

नहीं होकर लघुत्तम रास्ते का प्रावधान है। प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए ख.नं. 20 की पूर्वी मध्य मेड से होकर ख.नं. 24 व 25 की दक्षिण मेड से होकर काफी लम्बा रास्ता चाह रहे है जबकि उक्त चाहे गये रास्ते काफी छोटा रास्ता कृषि भूमि ख.नं. 11 व 10 की पूर्वी मेड से होकर दिया जा सकता है।

(v) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः—प्रार्थीगण अपनी आराजी ख.न. 481/22 व अन्य खेतो तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 20, 24 व 25 से रास्ते के रूप में आने वाली भूमि का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है। धारा 251 ए आर. टी.एक्ट में डीएलसी की दुगनी दर से या भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 12.11.2022 व 04.07.2024 के अवलोकन से धारा 251 ए आर.टीएक्ट की सभी शर्तो की पूर्ति नहीं होने से पहूँच हेतु नया रास्ते के संबंध में प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. खारीज किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

9. परिणामतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी. एक्ट. खारीज किया जाता है। प्रार्थीगण पहूँच हेतु सुविधाजनक रास्ते के स्थान पर लघुत्तम रास्ते को ध्यान में रखते हुए एवं सभी खातेदारो को पक्षकार बनाते हुए नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। यह आदेश आज दिनांक 09.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:46 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner